भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3629

दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

पंजाब में दहेज प्रथा

3629. श्री शेर सिंह घुबाया :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब सहित देश के कई हिस्सों में विवाह समारोहों पर होने वाला अत्यधिक खर्च और दहेज प्रथा के नए रूप सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विवाहों में फिजूलखर्ची और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए कोई प्रभावी जागरूकता अभियान चला रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सादगीपूर्ण विवाहों को प्रोत्साहित करने और दहेज उन्मूलन से संबंधित अधिनियम को अधिक दृढ़ता से लागू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। दहेज और दहेज हत्या के मामलों की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दहेज की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यह अधिनियम दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है और इसके लिए दंड का प्रावधान करता है ताकि महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाया जा सके। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 दहेज उत्पीड़न को घरेलू हिंसा के दायरे में परिभाषित करता है और इसके तहत सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत, मुआवजा आदेश आदि जैसे उपाय प्रदान करता है।

केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और सरकार ने इस संबंध में कई विधायी और योजनाबद्ध पहलें की हैं। इनमें "भारतीय न्याय संहिता", "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता", "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006" और "दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961" जैसे कानून शामिल हैं। इन कानूनी प्रावधानों के अलावा, सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कई योजनाओं और परियोजनाओं में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमीकरण; आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो आपात स्थिति में अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप-आधारित प्रणाली है, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण; पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों जगह हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करती है। इसमें जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित व्यापक एकीकृत सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। देश भर में 896 ओएससी कार्यशील हैं और 31 अक्टूबर, 2025 तक 12.88 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए वे पहला और एकमात्र संपर्क बिंदु होंगी, 15,049 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) बनाए गए हैं, जिनमें से 14,363 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं। जरूरतमंद और संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता और सहयोग करने के लिए, विभिन्न आपात स्थितियों के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्र/पुलिस संसाधनों के कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त प्रेषण की सुविधायुक्त आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई

है। ईआरएसएस के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह से कार्यरत विशिष्ट महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) भी संचालित है। महिला हेल्पलाइन को भी ईआरएसएस के साथ एकीकृत किया गया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक, महिला हेल्पलाइन ने 96.37 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने "पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है ताकि उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित हो और इसमें चार महत्वपूर्ण घटकों, अर्थात अवसंरचना, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर जोर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध के विशेष संदर्भ में अपराध की रोकथाम और जांच के उद्देश्य से "महिला सुरक्षा और संरक्षा- पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं (रिस्पांडर्स) और जांचकर्ताओं (इंवेस्टीगेटर्स) के लिए एक पुस्तिका" नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई है, जिसमें विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के अपराध का जिक्र है जिसमें जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास भी शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने तथा अपराध के पीड़ितों के साथ समुचित बातचीत के लिए पुलिस बल में उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों के लैंगिक संवेदीकरण आदि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

मंत्रालय समय-समय पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाता है। इसके अलावा, सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्यों में इनकी समकक्ष संस्थाओं के माध्यम से लोगों को दहेज प्रथा की बुराइयों सहित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइज़री जारी की हैं।

महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से एक

कानूनी सहायता क्लिनिक आरंभ किया है, जो निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करके महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए एकल-खिड़की सुविधा है।

मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' आरंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना तथा विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत कर्मियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आने वाली कॉलों की निगरानी के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डैशबोर्ड प्राप्त कॉल और सहायता प्राप्त महिलाओं की तत्समय (रियल टाईम) निगरानी करने में सक्षम बनाता है। इस प्रणाली के माध्यम से, केंद्र सरकार सम्पूर्ण भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा पर केंद्रीकृत आंकड़ें बनाए रखने में सक्षम होगी, जिसे घरेलू हिंसा के मामलों सहित मामलों के प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।
